हिमाचल प्रदेश सरकार विधि विभाग

संख्या एल०एल०आर०-डी०(६)-15/2023-लेज शिमला-2

23 अगस्त, 2023

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा (संशोधन) अध्यादेश, 2023 को दिंनाक 17–08–2023 को प्रख्यापित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, अध्यादेश के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त अध्यादेश को वर्ष 2023 के अध्यादेश संख्यांक 3 के रुप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार

2023 का अध्यादेश संख्यांक 3

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा (संशोधन) अध्यादेश, 2023 भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए अध्यादेश ।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है.

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत क सविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

रंक्षिप्त नाम। 1. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा (संशोधन) अध्यादेश, 2023 है।

- धारा 3 का संशोधन 2. हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 में,—
 - (क) उप—धारा(1) के पश्चात् निम्नलिखित उप—धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"1-क हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम,1994 के अधीन स्थापित नगर निगम में और इस अधिनियम की अनुसूची—।।। में यथा दर्शाए गए पद राज्य स्तरीय नगरनिगम सेवा में समाविष्ट होंगे।"; और

- (ख) "उप धारा (2) में, "अनुसूची—।" शब्द चिन्ह, और अंक के स्थान पर", यथास्थिति, अनुसूची—। या अनुसूची—।।" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।
- धारा 4 का संशोधन 3. मूल अधिनियम की घारा 4 की उप—घारा(3) में, "अनुसूची—।" शब्द,

 चिन्ह और अंक के पृश्चात "और अनुसूची—।।।" शब्द, चिन्ह और अंक
 अंतःस्थापित किए जाएंगे।
- धारा 5 का संशोधन 4. मूल अधिनियम की धारा 5 की उप—धारा (1) में, "अनूसूची—।।" शब्द, चिन्ह और अंक के स्थान पर "यथास्थिति, अनुसूची—।। या अनुसूची—।V" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 20 का संशोधन।

1

5. मूल अधिनियम को धारा 20 में, "अनुसूची—। और।।" शब्द, चिन्ह और अंक के स्थान पर अनुसूची—।,।।,।।। और ।v" शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

अनुसूची—।।। और 6. मूल अधिनियम में अनुसूची—।। के पश्चात निम्नलिखित अनुसूचियां अनुसूची—।V का अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्ः— अन्तःस्थापन।

> "अनुसूची— IV" (धारा 3 (1) (क) देखें)

क्रम संख्या सेवा का नाम

2 निम्नलिखित हिमाचल प्रदेश राज्य स्तरीय नगर निगम सेवांए

- 1. अधिशाषी अभियन्ता
- 2. सहायक अभियन्ता
- 3. प्रशासनिक अधिकारी
- 4. अधीक्षक ग्रेड-।

- 5. अधीक्षक ग्रेड-।।
- 6. मुख्य लेखाकार
- मुख्य सफाई निरीक्षक
- 8. निजी सचिव
- 9. निजी सहायक
- 10. सचिव
- 11. कनिष्ठ अभियन्ता
- 12. ड्राफट मैंन
- 13. वरिष्ठ सहायक
- 14. सांख्यिकी सहायक
- 15. लेखाकार
- 16. कनिष्ठ लेखाकार
- 17. सफाई निरीक्षक
- 18. समुदायिक आयोजक
- 19. आशुलिपिक
- 20. स्टैनोटाइपिस्ट
- 21. सर्वेक्षक
- 22. सफाई सर्वेक्षक
- 23. कार्य पर्यवेक्षक तकनीशियन के रूप म पुनः पदनामित
- 24. कम्पयुटर सहायक
- 25. चालक
- 26. मीटर रिडर
- 27. मीटर मैकेनिक
- 28. तकनीकी मैकेनिक
- 29. कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई टी)
- 30. कनिष्ठ ड्राफ्टमैन/सहायक ड्राफ्टमैन
- 31. लिपिक / कनिष्ठ सहायक
- 32. डाटा एंट्री आपरेटर
- 33. फेरो प्रिटंर
- 34. प्रयोग शाला तकनीशियन
- 35. तकनीशियन (बढई, राजिमस्त्री, लोहार, इलैक्ट्रीशियन, फिटर/पलम्बर और मैकेनिक)
- 36. पुरूष और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता
- 37. सिलाई अध्यापक

"अनुसूची—।" (धारा 5 (1) देखें)

क्रम संख्या सेवा का नाम

- 1 2
- 1. वास्तुकार योजनाकार
- 2. निगम स्वास्थ्य अधिकारी / स्वास्थ्य अधिकारी
- 3. नगर योजनाकार
- 4. पशु चिकित्सा लोक स्वास्थ्य अधिकारी
- 5. विधि अधिकारी
- 6. योजनाकार अधिकारी
- नायब तहसीलदार
- 8. पशु चिकित्सीय संयोजक
- 9. उप नियंत्रक लेखाकार
- 10. अनुभाग अधिकारी (वित्त एंव लेखा)
- 11. सहायक वास्तुकार योजनाकार
- 12. कानूनगोह
- 13. पटवारी ।"।

(शिव प्रताप शुक्ल) राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।

शरद कुमार लगवाल सचिव (विधि)

शिमलाः

तारीखः 17 अगस्त, 2023

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

H.P. ORDINANCE NO. 3 Of 2023

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL SERVICES (AMENDMENT) ORDINANCE, 2023

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Seventy-fourth Year of the Republic of India.

AN ORDINANCE further to amend the Himachal Pradesh Municipal Services Act, 1994 (Act No. 11 of 1994).

WHEREAS, the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title. 1 This ordinance may be called the Himachal Pradesh Municipal . Services (Amendment) Ordinance, 2023.

Amendment of 2. section 3.

In section 3 of the Himachal Pradesh Municipal Services Act, 1994 (Act No. 11 of 1994) (hereinafter referred to as the "principal Act"),-

- a) after sub-section(1), the following sub-section shall be inserted, namely:-
 - " 1-a. There shall be State Level Municipal Corporation Services comprising of the posts in Municipal Corporation established under the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 and as shown in the schedule III of this Act."; and
- b) in sub-section (2), after the words, sign and figure "Schedule-I", the words, sign and figure "or Schedule-III", as the case may be shall be inserted.

Amendment of 3. section 4.

In section 4 of the principal Act, in sub-section(3), after the words, sign and figure" Schedule-I", the words, sign and figure "Schedule-III", shall be inserted.

Amendment of 4. section 5.

5.

In section 5 of the principal Act, in sub section (1), after the words "Schedule-II", the words "or Schedule-IV, as the case may be" shall be inserted.

Amendment of section 20.

In section 20 of the principal Act, for the words sign and figure "Schedule-I and II," the word sign and figure "Schedule-I,II,III and IV" shall be substituted.

Insertion of
SCHEDULE -III
and SCHEDULEIV.

6.

In the principal Act, after the SCHEDULE-II, the following SCHEDULES shall be inserted, namely:-

"SCHEDULE-III [See section 3(1)(a)]

Sl. Name of Service

No.

1

HIMACHAL PRADESH STATE LEVEL MUNICIPAL CORPORATION SERVICES OF-

- 1. Executive Engineer
- 2. Assistant Engineer
- 3. Administrative Officer
- 4. Superintendent Grade-I
- 5. Superintendent Grade-II
- 6. Chief Accountant
- 7. Chief Sanitary Inspector
- 8. Private Secretary
- 9. Personal Assistant
- 10. Secretary
- 11. Junior Engineer
- 12. Draughtsman
- 13. Senior Assistant
- 14. Statistical Assistant
- 15. Accountant
- 16. Junior Accountant
- 17. Sanitary Inspector
- 18. Community Organizer
- 19. Stenographer
- 20. Steno Typist
- 21. Surveyor
- 22. Sanitary Supervisor
- 23. Work Supervisor {Redesigned as Technician(Supervisor)}
- 24. Computer Assistant
- 25. Driver
- 26. Meter Reader
- 27. Meter Mechanic
- 28. Technical Mechanic

- 29. Junior Office Assistant (IT)
- 30. Junior Draughtsman/Assistant Draughtsman
- 31. Clerk/Junior Assistant
- 32. Data Entry Operator
- 33. Ferro Printer
- 34. Laboratory Technician
- 35. Technician (Carpenter, Mason, Blacksmith, Electrician, Fitter/Plumber, & Mechanic)
- 36. Male and Female Health Worker
- 37. Tailoring Teacher

SCHEDULE-IV [See section 5(1)]

Sl. No. Name of Service

1. Architect Planner

1

- 2. Corporation Health Officer/Health Officer
- 3. Town Planner
- 4. Veterinary Public Health Officer
- 5. Law Officer
- 6. Planning Officer
- 7. Naib Tehsildar
- 8. Veterinary Pharmacist
- 9. Deputy Controller Accounts
- 10. Section Officer (F&A)
- 11. Assistant Architect Planner
- 12. Kanungo
- 13. Patwari.".

(SHIV PRATAP SHUKLA) Governor, Himachal Pradesh

(SHARAD KUMAR LAGWAL)

Secretary (Law).

SHIMLA THE 17TH AUGUST, 2023
